

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 72/2023

अनवान :

रणधीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम


1. ओमप्रकाश पुत्र फकीरा जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रतन सिंह धारीवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री मोहर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएल के खाता सं० 22/20 के मु०नं० 67 कि०न० 10, 11, 20, 21/1 मु०न० 68 कि०न० 11 ता 19, 20/2, 22/2, 23/2, 24/1, 25/1 मु०न० 69 कि०न० 16/1, 16/2, 17 ता 25 मु०न० 70 कि०न० 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25 मु०न० 77 कि०न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 की 3.5540है० बरानी 4.7320है० नहरी 0.050है० गै०मु० खाला कुल 8.3360है० वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 अकेले की बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा (हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़